



## **BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER**

File No.: BOR/Store/F.1/337/Machine with Man/2025/561

Date: 28.07.2025

### **Notice Inviting Bid**

**NIB -BOR/Service/OCB/Rs.54 Lakh/Machine with Computer Operator/2025/10 Date:28/07/2025**

Notice Inviting Bid for Procurement of Computer Systems on rent (Computer Desktop, Printer & UPS) with Computer Operator on Job Basis are hereby invited from interested bidder's up to 01:00 PM till 08.08.2025. For any other particulars related to Bid may visit on the Procurement Portal (<http://eproc.rajasthan.gov.in>) and (<http://sppp.raj.nic.in>) of the state and [www.landrevenue.rajasthan.gov.in](http://www.landrevenue.rajasthan.gov.in) of Revenue Board website. The approximate value of the procurement is Rs. 54,00,000/-

**Deputy Registrar (Store)**  
**Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer**

निबंधक,

राजस्व मण्डल राजस्थान,  
अजमेर।

दूरभाष : 91-145-2627620

फैक्स : 91-145-2427072, 2627001

ई-मेल : bor-rj@nic.in

## **1.बोली आमंत्रण की सूचना** **(NOTICE INVITING BIDS)**

**NIB-BOR/Service/OCB/Rs.54Lakh/Machine with Computer Operator/2025/10 Date:28/07/2025**

1. राजस्थान सरकार के महामहिम राज्यपाल की ओर से राजस्व मण्डल कार्यालय, अजमेर में किराए पर कम्प्यूटर सिस्टम मय जॉब बेसिस पर उच्च कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर (मशीन विथ कम्प्यूटर ऑपरेटर) संवेदक के माध्यम से सेवा उपलब्ध करवाने हेतु बोलियां e-proc के माध्यम से Online आमंत्रित की जा रही हैं। बोली सेवाओं हेतु आमंत्रित की जा रही है, जिनका विवरण सेवा विवरण दस्तावेज पर अंकित हैं।
2. अनुबंध की शर्तें, आदि सहित बोली दस्तावेज बोलियाँ खोली जाने की दिनांक से एक दिवस पहले तक कार्य दिवसों के दौरान कार्य प्रसारित समय में उपापन संस्था के कार्यालय में देख सकते हैं। बोली दस्तावेज स्टेट प्रोक्योरमेंट पोर्टल की वेबसाइट [www.eproc.rajasthan.gov.in/](http://www.eproc.rajasthan.gov.in/) [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं [www.landrevenue.rajasthan.gov.in/bor](http://www.landrevenue.rajasthan.gov.in/bor) से ही डाउनलोड करके प्राप्त कर सकेंगे। बोली दस्तावेज का मूल्य, बोली प्रतिभूति राशि, तथा आरआईएसएल फीस संवेदक द्वारा ऑनलाईन ई-ग्रास के माध्यम से जमा करवानी होगी। जमा करवाये जाने की क्रियाविधि बिन्दु संख्या 04 में वर्णित है।
3. बोली विधिवत एवं क्रमानुसार सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षरित एवं समस्त हस्ताक्षरित दस्तावेजों के साथ दिनांक : 08/08/2025 को सायं 01:00 PM बजे तक **Online** जमा कराई जा सकती है।
4. बोली दस्तावेज मूल्य, RISL processing Fee एवं बोली प्रतिभूति राशि को ऑनलाईन ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना है। Online जमा करवाये जाने की क्रियाविधि निम्नानुसार है:-

(1) बिडर द्वारा ई-ग्रास पर प्रोफाईल बनाने के बाद ई-ग्रास प्रोक्योरमेंट हेतु बोली दस्तावेज मूल्य, बोली प्रतिभूति राशि एवं आरआईएसएल फीस का भुगतान एक ही चालान से ऑनलाईन जमा करवाया जायेगा। आरआईएसएल फीस बजट मद 8658-00-102-(16)-01(सिविल विभाग), बोली प्रतिभूति राशि बजट मद

8443-00-103-00-00 तथा बोली दस्तावेज मूल्य हेतु बजट मद 0075-00-800-52-01 में बिडर द्वारा जमा कराने हेतु ई-ग्रास पर प्रावधान उपलब्ध है ।

(विस्तृत प्रक्रिया ई ग्रास पोर्टल (<https://egras.raj.nic.in>) पर User Manual में उपलब्ध हैं)

5. बोलियाँ, संवेदकों या उनके प्रतिनिधियों, जो उपस्थित होना चाहते हैं वह दिनांक : 08/08/2025 को समय 03:00 PM बोली दस्तावेजों की तकनीकी बिड खोली जाएगी। तकनीकी रूप से पात्र पाए गए बिडर्स की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। वित्तीय बिड खोलने की तिथि व समय, तकनीकी पात्र बोलीदाता को ई-प्रॉक के माध्यम से एस.एम.एस. द्वारा सूचित की जावेगी।
6. उपापन संस्था सबसे कम राशि वाली बोली (L-1) को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं बिना कारण बताये किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार कर सकती है।
7. बोलीदाता अपनी बोली को ई-प्रॉक के माध्यम से केवल इलैक्ट्रॉनिक रूप से ही प्रस्तुत करेंगे अर्थात तकनीकी व वित्तीय बोली के समस्त दस्तावेज जो बोली हेतु चाहे गये हैं समस्त प्रपत्र ऑनलाईन ही प्रस्तुत करेंगे।
8. बोली के साथ बोली दस्तावेज शुल्क राशि रुपये 2000/- , आरआईएसएल फीस राशि रुपये 1500/- एवं बोली प्रतिभूति राशि रुपये 1,08,000/- ऑनलाईन जमा करवाने के उपरान्त ई-चालान की प्रति ऑनलाईन आवश्यक रूप से जमा करानी होगी।
9. सफल संवेदक को कार्य आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (प्रदाय किए जाने वाली सेवाओं की राशि के कुल योग का 5 प्रतिशत) एवं समस्त 50 कम्प्यूटर सिस्टम (कम्प्यूटर डैक्सटॉप, प्रिंटर, यूपीएस) मय कम्प्यूटर ऑपरेटरस की सूची नियत 07 दिवस की अवधि में मण्डल कार्यालय में जमा/सुपुर्द करवानी होगी।
10. बोलीदाताओं को **Latest GST Return** प्रमाण-पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी **“पैन कार्ड की प्रति”** जमा करानी होगी।
11. उक्त बोली आमंत्रण राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा उसके संशोधनों के अनुसार जारी की जा रही है तथा साथ ही उक्त उपापन प्रक्रिया इन अधिनियमों एवं नियमों में संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
12. यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।
13. राजस्थान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बोली दस्तावेज शुल्क विहित लागत के 50 प्रतिशत पर, बोली प्रतिभूति उनके द्वारा प्रदाय की जाने वाली प्रस्तावित परिमाण के मूल की

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

0.5 प्रतिशत दर पर एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 01 प्रतिशत दर पर होगी। बोलीदाता को उक्त छूट का लाभ हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्ग के पंजीकरण प्रमाण पत्र में फर्म राजस्थान में स्थित होने का एवं निविदा में वांछित सेवाओं के संबंधित एनआईसी कोड का अंकन होना अनिवार्य हैं, अन्यथा छूट का लाभ देय नहीं होगा।

- 14.** बोली जमा करवाने की अंतिम तिथि, तकनीकी बोली खोले जाने की अंतिम तिथि पर किसी प्रकार के राजकीय अवकाश हो जाने पर संबंधित कार्यावाही स्वतः अगले दिवस पर सम्पादित की जाएगी।

## **2.BID - DATA -SHEET**

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name of the subject matter</b>                                                                | Procurement of Computer Systems on rent (Computer Desktop, Printer, UPS) with Computer Operator on Job Basis.                                                                                                                                            |
| <b>Nature of subject matter</b>                                                                  | Service                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Required Quantity</b>                                                                         | 50 Computer Systems (Computer Desktop, Printer, UPS) with 50 Highly Skilled Computer Operator<br>(Note-The Procuring Entity is free to Increase/Decrease the Quantity outlooking the circumstances and availability of budget)                           |
| <b>Method of procurement</b>                                                                     | Open Competitive Bid through E-Procurement                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cost of BID DOCUMENT (non-refundable)*</b>                                                    | Rs. 2000/- (Rupees Two Thousand Only)<br>Amount to be deposited according to point No. 04                                                                                                                                                                |
| <b>RISL Fees (non-refundable)*</b>                                                               | Rs 1500 /- (Rupees One Thousand & Five Hundred only)<br>Amount to be deposited according to point No. 04                                                                                                                                                 |
| <b>BID Security</b>                                                                              | 1,08,000/- (One Lakh Twenty Thousand only) Amount to be deposited according to point No. 04                                                                                                                                                              |
| <b>Estimated Cost</b>                                                                            | Rs.54 lacs (Rupees Fifty Four Lakhs only)<br>(Note-The cost to Procurement is estimated to be 54 Lakh. The Procuring Entity can increase the Budget after opening of Financial Bid)                                                                      |
| <b>Date of Uploading of BID DOCUMENT</b>                                                         | 29/ 07 /2025    Time    12:30 PM                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Date of Downloading of BID DOCUMENT Start Time</b>                                            | 29/ 07 /2025    Time    12:30 PM                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Last Date of Bid submission &amp; Time (Online)</b>                                           | 08/ 08 /2025    Time    01:00 PM                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Technical Bid Opening Date , Time &amp; Place</b>                                             | 08/ 08 /2025    Time    03:00 PM<br>@ Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer                                                                                                                                                                              |
| <b>Financial Bid Opening Date Time &amp; Place</b>                                               | Technically Qualified Bidders will be informed accordingly                                                                                                                                                                                               |
| <b>Websites for downloading Bid/BID DOCUMENT/ Bidding Document, Corrigendum's, Addendums etc</b> | <a href="http://www.eproc.rajasthan.gov.in">www.eproc.rajasthan.gov.in</a><br><a href="http://www.landrevenue.rajasthan.gov.in/bor">www.landrevenue.rajasthan.gov.in/bor</a><br><a href="http://www.sppp.rajasthan.gov.in">www.sppp.rajasthan.gov.in</a> |
| <b>Proposal &amp; BID Validity</b>                                                               | 90 days from the last date of bid submission                                                                                                                                                                                                             |

### **3. Technical Requirements**

| <b>S.No.</b> | <b>Requirement</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Response</b><br>Yes/No (If not<br>kindly state<br>reason) | <b>Page No.</b> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.           | Self Declaration Regarding work experience (Annexure G Enclosed) Work Orders of similar Procurement having total value more than 25 Lakhs in last 3 years along with satisfactory work certificate issued by concerned department. |                                                              |                 |
| 2.           | Self Declaration Regarding Blacklisting / Debarment (Annexure F Enclosed)                                                                                                                                                          |                                                              |                 |
| 3.           | Registration Certificate of Rajasthan Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970                                                                                                                                         |                                                              |                 |
| 4.           | Registration Certificate under Employees Provident Funds Act, 1952<br>It will be mandatory to submit the certificate of depositing the contribution of at least 50 workers in any one month in the last one year.                  |                                                              |                 |
| 5.           | Registration Certificate under Employees' State Insurance Act, 1948                                                                                                                                                                |                                                              |                 |
| 6.           | Contribution Receipts of EPF & ESI from April 2022- March 25 (Original Challan Copy must be attached for Verification)                                                                                                             |                                                              |                 |
| 7.           | Latest GST Return                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                 |
| 8.           | PAN Card                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                 |
| 9.           | GST Registration                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                 |
| 10.          | E Challan Copy of Bid document Fees, RISL Fees and Bid Security                                                                                                                                                                    |                                                              |                 |
| 11.          | Affidavit on Rs100/- Non Judicial Stamp Paper duly certified by Notary (Annexure-H)                                                                                                                                                |                                                              |                 |
| 12.          | Power of Attorney on Rs 500/- Stamp duly certified by Notary of a person signing the Bid Document on behalf of Firm/Bidder. (If Applicable)                                                                                        |                                                              |                 |
| 13.          | MSME Certificate, if any relaxation is taken in Bid Document Fee, Bid Security and Performance Security                                                                                                                            |                                                              |                 |
| 14.          | Turn Over Certificate of last 3 year of the firm (Minimum 25 Lakh required in any 1 year)                                                                                                                                          |                                                              |                 |

**उपरोक्त तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की दशा में बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।**

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

## **Financial Requirement**

- The Price Schedule included in the Bid Document is for indicative purpose only therefore the Bidder must not quote any rate in Bid Document. The Rate has to be quoted in BOQ online only.

## **4. उपापन का विवरण**

### **SCOPE & CONDITIONS OF PROCUREMENT**

राजस्व मण्डल कार्यालय, अजमेर में किराए पर कम्प्यूटर सिस्टम (कम्प्यूटर डेस्कटॉप, प्रिंटर, यूपीएस) मय जॉब बेसिस पर उच्च कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर (मशीन विथ मैन) संवेदक के माध्यम से सेवा उपापन हेतु

#### **A. Scope & Conditions of Highly Skilled Computer Operator**

1. प्रत्येक उच्च कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर को श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.12.2024 अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरें (रूपयें में) प्रतिदिन – 359.00 /प्रतिमाह – 9334/— देय होंगी (मासिक मजदूरी की दर 26 का भाग देकर की गई हैं), यदि उक्त दरों में श्रम विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो भुगतान नवीन मजदूरी की दरें अनुसार किया जाएगा।
2. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियम दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल हैं।
3. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टें प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (Overtime) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
4. पार्ट टाइम (अंशकालीन) श्रमिक यदि 04 घण्टे से कम कार्य करता हों तो उसे निर्धारित न्यूनतम दर का 50 प्रतिशत तथा 04 घण्टे से अधिक कार्य करने पर पूर्ण निर्धारित वेतन मिलेगा।
5. कार्मिक को कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए एवं Windows, Word Processor, Spread Sheet, Internet Operations एवं अन्य कार्यालय से संबंधित कंप्यूटर संचालन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
6. कम्प्यूटर ऑपरेटर की गैर हाजिरी पर संबंधित कार्मिक को अवकाश वाले दिनों का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। यदि कोई कम्प्यूटर ऑपरेटर 07 दिवस से अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहता है तो संवेदक को तुरन्त प्रभाव से नवीन कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। यदि संवेदक उक्त अवधि में श्रमिक उपलब्ध करवाने में असफल रहता है तो संवेदक को नोटिस जारी किया जाएगा। कारण संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में राशि **₹ 1000/— प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति** Penalty की वसूली संवेदक के बिल भुगतान से की जावेगी।
7. विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार (एक सप्ताह की पूर्व सूचना देकर) कम्प्यूटर सिस्टम मय ऑपरेटर बढ़ाये/घटाये जा सकते हैं।
8. यदि कोई कम्प्यूटर ऑपरेटर मण्डल कार्यालय में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों से शामिल पाया जाता है तो संबंधित ऑपरेटर के विरुद्ध संवेदक को कानूनी कार्यवाही कर विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा यदि संवेदक ऐसा करने में असफल रहता है तो विभाग द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

## **B. Scope & Conditions of Computer Systems (Computer Desktop, Printer and UPS)**

### **1. Minimum Technical Specification of Computer Systems**

**Computer** – Preinstalled Microsoft Window 10 or higher, Intel Core i3/Ryzen 3 or higher, RAM 4 GB or higher, Hard Disk 250 GB or more, 15” Monitor/TFT or bigger with minimum resolution 1600\*900 or higher, 10/100/1000 Mbps Ethernet LAN Card, Standard USB Keyboard, USB Optical Mouse, Standard Serial ports, parallel ports and USB Ports, Latest Anti Virus installed, Preinstalled MS Office and all necessary cables with LAN Cable. Responsibility of software licence will be borne by the contractor.

**Printer** – Black & White Laser Printer/INK Tank Printer with speed 18 PPM or more.

**UPS** – Online/Offline 600 VA or higher with line interactive UPS for above computer and printer with 30 minutes battery backup.

सभी उपकरणों के मॉडल जुलाई 2022 से पूर्व के नहीं होने चाहिये।

2. कम्प्यूटर सिस्टम (डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस) के रख-रखाव की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। प्रिंटर में उपयोग में लिए जाने वाले कन्ज्युमेबल सामग्री जैसे इंक, कम्प्यूटर सिस्टम में उपयोग में ली जाने वाली लिंक केबल तथा अन्य उपकरण की आपूर्ति संवेदक को करवाना अनिवार्य होगा। पेपर, बिजली फिटिंग की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाएगी।
3. सफल संवेदक को उपरोक्त कम्प्यूटर सिस्टम (डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस) करार पत्र, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के साथ मण्डल कार्यालय, अजमेर में पत्र जारी होने की दिनांक से 07 दिवस में आपूर्ति करनी होगी। यदि संवेदक सामग्री उपलब्ध करवाने में असफल रहता है अथवा वांछित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप प्रस्तुत नहीं करता है तो संवेदक के विरुद्ध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
9. कम्प्यूटर सिस्टम तथा अन्य संबंधित उपकरण व अन्य मशीनों/उपकरणों को सही तरीके से हमेशा कार्यरत (Working) स्थिति में रखने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी, यदि मरम्मत की आवश्यकता होती है तो 02 कार्य दिवस में रिप्लेस करने की जिम्मेदारी फर्म की होगी ताकि कार्यालय का काम बाधित न हो। इस हेतु किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। यदि कम्प्यूटर सिस्टम 02 कार्य दिवस के भीतर दुरुस्त नहीं किए जाते हैं तो राशि रु 1000/- प्रतिदिन Penalty की वसूली संवेदक के बिल भुगतान से की जावेगी।
4. यदि उपकरणों की चोरी या अन्य किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी। फर्म को सलाह दी जाती है कि वह स्वयं के खर्च पर उपकरणों का बीमा करा ले।

**:: घोषणा ::**

मैंने/हमने उपरोक्त सभी नियम और शर्तें पढ़ ली हैं। मैं/हम उपरोक्त नियमों और शर्तों से सहमत हैं, यदि बोली के साथ प्रस्तुत कोई भी घोषणा, प्रमाण पत्र और दस्तावेज़ उपापन संस्था द्वारा गलत पाया जाता है या किसी प्रकार की शर्त का पालन नहीं किया जाता है तो उपापन संस्था हमारी बोली को अस्वीकार कर सकता है और हमारे/मेरे खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

हस्ताक्षर:—.....

नाम:—.....

पदनाम:—.....

फर्म का स्टेटस (मालिक/साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड आदि) :— .....

स्थायी पता .....

किसकी ओर से (बोलीदाता का नाम):—.....

दिनांक:—.....

टेलीफोन न0:—.....फैक्स न0:—.....ईमेल:—.....

बैंक अकाउंट नम्बर :—.....

आई.एफ.एस.सी. कोड :—.....

बैंक का नाम :— .....

## **5. बोली जमा सूची** **Bid Submission Sheet**

दिनांक .....

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक.....

सेवामें,

**निबंधक,**

राजस्व मण्डल राजस्थान,

अजमेर |

**दूरभाष** : 91-145-2627620 **फैक्स** : 91-145-2427072, 2627001 **ई-मेल** : bor-rj@nic.in

हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, घोषणा करते हैं कि:

(i) हमने बोली दस्तावेज पढ़ लिया है, जाँच लिया है, और हमें इसमें वर्णित प्रावधानों से किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं है।

(ii) हम बोली दस्तावेजों में वर्णित की गई उपापन की विषय वस्तु (मय स्पेसिफिकेशन एवं अन्य निर्देशों सहित) के अनुरूप एवं प्रदाय अवधि की अनुसूचि में वर्णित अवधि के अनुसार निम्नलिखित माल एवं संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत हैं।

(क).....

(ख).....

(iii) हमने उपापन प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित मदों हेतु राशि का भुगतान कर दिया है।

(क) किसको भुगतान किया है(उपापन संस्था का नाम) : निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(ख) पता : अजमेर।

(ग) किस कारण/किस मद हेतु : बोली प्रतिभूति।

(घ) राशि.....

(यदि कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो 'नहीं' अंकित करें।)

(iv) बोली दस्तावेजों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार हमारी बोली, बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से 90 दिनों की कालावधि तक वैध रहेगी एवं यह हम पर बाध्यकारी होगी और निश्चित की गई वैधता अवधि से पूर्व तक किसी भी समय उपापन संस्था द्वारा स्वीकार की जा सकेगी।

(v) यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो कार्य के सही संपादन हेतु हमारे द्वारा कुल प्रदाय राशि का 5% प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में जमा कराया जायेगा या नियमानुसार इस हेतु कार्य संपादन प्रतिभूति की घोषणा की जायेगी।

## बोली दस्तावेज – Service

## एकल चरण – दो लिफाफा बोली

- (vi) हमारी फर्म, आपूर्तिकर्ता या उप बोलीदाता, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, भारतीय नागरिकता रखती है।
- (vii) हम, बोलीदाताओं हेतु बोली दस्तावेजों में वर्णित अर्हता, पात्रता एवं योग्यता की शर्तें पूरा करते हैं और विषय वस्तु के उपापन में हमारा कोई हित विरोध नहीं है। हम इस बोली प्रक्रिया में एक से ज्यादा बोलीदाताओं के रूप में भाग नहीं ले रहे हैं।
- (viii) हमारी फर्म, इसकी सहायक और संबंधित ईकाईयाँ, आपूर्तिकर्ता एवं उपबोलीदाता, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, को राज्य सरकार द्वारा या उपापन संस्था द्वारा निषेध नहीं किया गया है।
- (ix) जब तक कि औपचारिकता करार तैयार एवं संपादित नहीं हो जाता है, यह बोली एवं आपके द्वारा प्रेषित आशय पत्र/स्वीकृति पत्र आपके व हमारे बीच बाध्यकारी करार होगा।
- (x) आप न्यूनतम बोलीदाता या अन्य किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, यह प्रावधान हम स्वीकार करते हैं।
- (xi) उपापन संस्था या इसका कोई भी प्रतिनिधि हमारे लेखों, रिकार्ड एवं बोली जमा करने से संबंधित किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा तथा उनके द्वारा नियुक्त कोई भी लेखा परीक्षक इनकी लेखा जाँच कर सकेगा।
- (xii) अन्य यदि कोई हो :—.....

हस्ताक्षर:—.....

नाम:—.....

पदनाम:—.....

किसकी ओर से(बोलीदाता का नाम):—.....

दिनांक:—.....

टेलीफोन न0:—.....मोबाईल न0:—.....ईमेल:—.....

## 6. मूल्य अनुसूची (Price Schedule) वित्तीय बोली

(यह प्रपत्र मात्र संकेतात्मक है अनुबंध की वित्तीय बोली ऑन-लाईन ही प्रस्तुत की जानी है)

फर्म का नाम .....  
पता मय दूरभाष .....

| क. सं. | कार्य की प्रकृति                                                                                                                                | श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (प्रति माह प्रति व्यक्ति) अधिसूचना दिनांक 13.12.2024 | सेवा प्रदाता द्वारा 08 माह के लिये प्रस्तुत दर (रु 9334 X 8 माह X 50 श्रमिक) | EPF दर प्रतिशत 13% | ESI दर प्रतिशत 3.25% | सेवा प्रदाता की सर्विस चार्ज राशि (मासिक) (कॉलम संख्या 7) | कम्प्यूटर सिस्टम (डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस) का किराया प्रतिमाह (रूपयें में) | जीएसटी का प्रतिशत | जीएसटी की राशि | कुल राशि (50 श्रमिक एवं कम्प्यूटर उपकरण के किराए सहित 08माह के लिए) समस्त करों सहित |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                               | 3                                                                                               | 4                                                                            | 5                  | 6                    | 7                                                         | 8                                                                                      | 9                 | 10             | 11                                                                                  |
| 1.     | जॉब बेसिस पर कम्प्यूटर सिस्टम मय उच्च कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर (मशीन विथ मैन) संवेदक के माध्यम से सेवा उपलब्ध करवाने हेतु (उच्च कुशल कार्मिक – 50) | 9334 /—                                                                                         | 3733600 /—                                                                   | 485368 /—          | 121342 /—            |                                                           |                                                                                        | —                 | —              | —                                                                                   |

- उपरोक्त सारिणी के क्रम संख्या 7,8 में बोलीदाता द्वारा राशि अंकित की जानी हैं, जीएसटी का भुगतान प्रचलित दर से विभाग द्वारा किया जाएगा।
- माह में दिनों की गणना औसतन 30 दिन का महीना मान कर की जाएगी।
- संवेदक द्वारा समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई0पी0एफ0 एवं ई0एसआई0 अंशदान जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौति एवं संवेदक का अंशदान शामिल होगा।
- न्यूनतम बिडदाता का निर्धारण कॉलम संख्या 11 में अंकित कुल राशि के आधार पर किया जायेगा।
- (GST) का भुगतान राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य करों का भुगतान राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देय नहीं होगा।
- (TDS) की कटौति नियमानुसार प्रचलित दर के अनुसार संवेदक के मासिक भुगतान बिल से की जायेगी।

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

**7. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा-7****की अनुपालना में संवेदक द्वारा घोषणा****Declaration by Bidder in Compliance with section 7 of Act****बोलीदाता द्वारा घोषणा**

आपके द्वारा किराए पर कम्प्यूटर सिस्टम मय जॉब बेसिस पर उच्च कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर (मशीन विथ कम्प्यूटर ऑपरेटर) संवेदक के माध्यम से सेवा हेतु सेवाओं के उपापन के लिये जारी की गई बोली आमन्त्रण सूचना **NIB-BOR/Service/OCB/Rs.54Lakh/Machine with Computer Operator/2025/10 Date:28/07/2025** के परिप्रेक्ष्य में हमारी जमा की गई बोली के क्रम में, मैं/ हम राजस्थान लोक उपापन तक पारदर्शिता अधिनियम .2012 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुरूप घोषणा करते हैं, कि :-

01. मैं/हम, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेजों के अनुसार आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय स्रोत रखता हूँ तथा साथ ही आवश्यक अपेक्षित सक्षमता धारित करता हूँ/करते हैं।
02. मैं/हम, ऐसे करो को जो कि बोली दस्तावेजों के अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, को संदत्र करने की बाध्यता को स्वीकार करता हूँ/करते हैं।
03. मैं/हम, यह घोषणा करते हैं कि मैं/हम दिवालिया रिसिवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हूँ/हैं, या परिसमापन नहीं कर रहा हूँ/होगा, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्याकलाप रखूँ/रखेंगे, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखूँ/रखेंगे, और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यशक्तियों के अध्यक्षीन होऊँगा/होगे।
04. मैं/हम, घोषणा करते हैं, कि अपने आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दूर्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए हैं,
05. मैं/हम, घोषणा करते हैं, कि बोली दस्तावेज के अनुसार, हमारे कोई हित के विरोध की स्थिति नहीं है, जो कि उचित प्रतियोगिता को तात्त्विक रूप से प्रभावित करें,

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर:-.....

नाम:-.....

पदनाम:-.....

पता:-.....

टेलीफोन न0:-.....

मोबाईल न0.....

ईमेल.....

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

## **08. उपापन/अनुबंध/करार की सामान्य शर्तें** **(General Conditions of Contract)**

1. विषय वस्तु के उपापन के लिए खुली प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया अपनायी गई है। सेवाओं का उपापन 28 फरवरी, 2026 या नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो तक के लिये किया जा रहा है। निविदा/कार्यादेश अनुबंध के आधार पर है। अतः इसे नियमित नियुक्ति नहीं माना जावे। दिनांक 28.02.2026 या नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो के पश्चात् इस आदेश की वैधता सताप्त हो जाएगी। निश्चित अवधि समाप्ति के बाद भी स्वीकृत दर पर समयावधि आपसी सहमति से RTPP Rules के तहत अधिकतम 03 माह के लिए बढ़ायी जा सकती है।
2. उपापन संस्था के समस्त अधिकारी, कर्मचारी तथा उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला बोलीदाता या कोई भी व्यक्ति नियमों में उल्लिखित “सत्यनिष्ठा संहिता” की पालना करेगा। सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी उपबंध के भंग होने की दशा में उपापन संस्था नियमानुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगी।
3. उपापन संस्था या उसके कार्मिक और बोली लगाने वालों के मध्य नियमानुसार “हित विरोध” की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
4. उपापन संस्था द्वारा, बोली दस्तावेजों में, यदि कोई परिवर्तन या स्पष्टीकरण जारी किया जाता है, जो कि बोली दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट निबंधनों को सारवान रूप से प्रभावित करता है, तो उपापन संस्था बोली लगाने वालों को पर्याप्त समय प्रदान कर सकेगी और तत्पश्चात् यथा उपांतरित बोली पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जा सकेगा।
5. बोलीदाता, बोली प्रपत्र की प्रत्येक शर्त व व्यवस्था का अध्ययन कर लें एवं RTPP के प्रावधानों से टकराव/विरोधाभास होने की स्थिति में राजस्व मण्डल को निविदा खोले जाने की तिथि से 5 दिवस पूर्व तक लिखित में अवगत करावें ताकि नियमानुसार उस पर विचार किया जा सके।
6. बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली की कालावधि सामान्यतः 90 दिनों की होगी। विशेष परिस्थितियों में उपापन संस्था कालावधि में विस्तार कर सकेगी। तत्पश्चात् जिन्होंने विस्तार से सहमति जताई हो, उन्ही बोलियों को मूल्यांकन हेतु स्वीकृत माना जायेगा।
7. बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट समय, तारीख एवं स्थान पर, बोली लगाने वालों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो उपस्थित रहना चाहे, की उपस्थिति में बोलियाँ खोली जायेगी।
8. बोलियों की परीक्षा, मूल्यांकन, तुलना, एवं अर्हता के दौरान बोली मूल्यांकन समिति स्वविवेक से किसी बोली लगाने वाले को उसकी बोली के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकेगी और ऐसे स्पष्टीकरण के लिए समिति का अनुरोध और बोली लगाने वाले का प्रत्युत्तर लिखित में होगा। किन्तु किन्ही गणितीय त्रुटियों की शुद्धि को पुष्ट करने के सिवाय बोली की कीमतों या सार में कोई भी परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
9. बोली दस्तावेजों में बोली लगाने वालों के द्वारा आवश्यक दस्तावेज, जी.एस.टी. का नवीनतम रिटर्न प्रमाण-पत्र, PAN इत्यादि भी सम्मिलित किये जायेंगे।
10. एकल स्रोत उपापन या प्रतियोगी बातचीत द्वारा उपापन की पद्धतियों के सिवाय, जहाँ तक संभव हो, बोली पूर्व प्रक्रम के पश्चात कोई बातचीत नहीं की जायेगी। माँगे जाने वाले समस्त स्पष्टीकरण बोली पूर्व अवस्था में ही माँगे जायेंगे। अन्यथा बातचीत सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही नियमानुसार की जा सकेगी। तत्पश्चात कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
11. उपापन संस्था वस्तु विशेष के उपापन से संबंधित प्रक्रिया में नियमानुसार गोपनीयता के संरक्षण के लिए शर्तें अधिरोपित कर सकेगी।

## बोली दस्तावेज – Service

## एकल चरण – दो लिफाफा बोली

12. उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और बोली के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
13. उपापन संस्था नियमानुसार किसी बोली को उपवर्जित कर सकेगी। सशर्त बोलियाँ अस्वीकार किये जाने योग्य होंगी।
14. उपापन संस्था बोली की प्रत्युत्तरदायित्वता का अवधारण करेगी। एवं बोली को प्रत्युत्तरदायी तब ही मानेगी जब कि वह बोली दस्तावेजों में उपवर्णित समस्त उपेक्षाओं के अनुरूप है।
15. मूल्यांकन कसौटी के आधार पर सर्वाधिक लाभप्रद बोली को सफल घोषित किया जायेगा। सफल बोली की कीमत उचित और अपेक्षित गुणवत्ता के सुसंगत होने के बाद ही उपापन संस्था द्वारा का अधिनिर्णय किया जा सकेगा।
16. उपापन के अधिनिर्णय के समय पर नियमानुसार सर्वाधिक लाभप्रद बोली कीमत पर उपापन की विषय वस्तु का परिमाण एक से अधिक बोली दाताओं के मध्य विभाजित किया जा सकेगा, यदि नियमानुसार ऐसा किया जाना आवश्यक हो।
17. बोली के मूल्यांकन के समय सर्वप्रथम तकनीकी मूल्यांकन में जो बोली तकनीकी रूप से स्वीकृत होगी, उन्हीं की वितीय बोलियाँ खोली जायेगी और इस संबंध में संबंधितों को सूचित कर दिया जायेगा।
18. आवश्यक तकनीकी अपेक्षाओं को पूर्ण करती हुई न्यूनतम दर वाली बोली को सफल बोली माना जायेगा।
19. बोलियों का मूल्यांकन अंकित तकनीकी मापदण्डों, गुणवत्ता एवं अंकित की गई राशि को सम्मिलित करते हुए किया जायेगा।
20. यदि कोई उपापन प्रक्रिया रद्द कर दी गयी है तो उसे पुनः खोला नहीं जायेगा किन्तु उपापन संस्था द्वारा यदि अपेक्षित है तो, उसी विषय वस्तु के लिए, नयी उपापन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।
21. कार्य संपादन प्रतिभूति आवश्यक होगी तथा साथ ही नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति की घोषणा ली जायेगी, जहाँ इसके लिए नियमों में प्रावधान किया गया हो। कार्य संपादन प्रतिभूति नियमों के विहित प्रारूपों में दी जा सकेगी। कार्य संपादन प्रतिभूति की रकम सामान्यतया माल और सेवाओं के उपापन के मामलों में प्रदाय आदेश की रकम की 5% होगी। विशेष परिस्थितियों में कार्य संपादन प्रतिभूति का समपहरण नियमानुसार किया जा सकेगा।
22. बोली लगाने वाले को स्वयं के खर्चे पर राशि रु. 500/- के गैर न्यायिक शपथ-पत्र पर स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किये जाने की दिनांक से 07 (सात) दिवस के भीतर उपापन/करार पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि वो ऐसा करने में विफल रहता है, तो उपापन संस्था उसके विरुद्ध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी।

**23. विनिर्देश:-**

- (i) प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसिफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गई हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर नियमानुसार मार्क अंकित होना चाहिए।
- (ii) तारांकित/क्रम संख्या.....पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य माल के मामलों में जहाँ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने ना हो, अति अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण के माल का प्रदाय किया जायेगा। उपापन संस्था को इस संबंध में, कि जो प्रदाय की गई है क्या वह स्पेसिफिकेशन के

अनुरूप हैं, तथा क्या वह सैम्पल (यदि कोई हो) के अनुसार है, किया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

- (iii) **वारंटी एवं गारंटी का खण्ड** : बोलीदाता यह गारन्टी देगा कि माल या स्टोर वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त माल /स्टोर्स /वस्तुओं की सुपुर्दगी की दिनांक से.....दिन/माह की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि उपापन संस्था ने उक्त माल/स्टोर्स वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है, एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि.....दिन/माह की उक्त अवधि में उक्त माल/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं (उस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम व निर्णायक होगा) तो उपापन संस्था उक्त माल/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो, उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जायेंगे, रद्द करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं बोलीदाता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। बोलीदाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया हो तो, वह उस माल आदि को या उसके भाग को, जिसे उपापन संस्था द्वारा रद्द किया गया है, बदल देगा अन्यथा बोलीदाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्तों के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से के अधीन या अन्यथा उस सम्बंध में उपापन संस्था के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

24. उपापन संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में, बोलीदाता ऐसी शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जायेगी, वार्षिक रख रखाव (मेंटीनेन्स) एवं मरम्मत करने के लिये आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों की नियमित समुचित सप्लाई करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।
25. उपापन की विषय वस्तुएं कार्यालय परिसर पर सही दशा में सुपुर्द की जायेगी। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी या नुकसान द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे: युद्ध विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा ऐसे व्यय किये जाते हैं तो उपापन संस्था से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं करेगा। यदि उपापन संस्था द्वारा चाहा गया हो तो उपापन संस्था की लागत पर यह बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जा सकेगा।
26. बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल बोलीदाता उपापन संस्था से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
27. उपापन संस्था परिस्थितियों के अनुसार उपापन की किसी विषयवस्तु के उपापन के लिये मना कर सकती है या विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपापन कर सकती है या अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिणामों के लिये पुनरादेश नियमानुसार दिया जा सकेगा।
28. बोलीदाता अपनी उपापन को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सोपेगा या उप-भाड़े (Sub Let) पर नहीं देगा।
29. विवादास्पद मदों के संबंध में, भुगतान योग्य राशि का 20 प्रतिशत राशि रोकी जायेगी तथा उक्त विवाद का निस्तारण होने पर ही रोकी गई राशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम, विहित विनिर्देशों के अनुरूप हो।
30. यदि प्रदायकर्ता किसी बाधा के घटित होने के कारण संविदा के अन्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय की वृद्धि करने की अपेक्षा करता हो तो वह बाधा के घटित होने पर समय वृद्धि हेतु लिखित में आवेदन करेगा लेकिन प्रदाय के पूर्ण होने की नियम तारीख के बाद ऐसा निवेदन नहीं करेगा।

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

## बोली दस्तावेज – Service

## एकल चरण – दो लिफाफा बोली

31. क्रेता अधिकारी परिनिर्धारित नुकसानी के साथ या परिनिर्धारित नुकसानी के बिना परिदान अवधि में वृद्धि ऐसे मामले में कर सकेगा जिसमें वह इससे सन्तुष्ट हो जाये कि माल के प्रदाय में विलम्ब उन बाधाओं के कारण हुआ है। इन कारणों को अभिलिखित किया जाएगा।
32. परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उस वस्तु के मूल्य के लिए की जायेगी, जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है।

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5 प्रतिशत।

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए – 5 प्रतिशत।

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए – 7.5 प्रतिशत।

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए – 10 प्रतिशत।

प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा। परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द किये गये माल की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं उपापन संस्था के पास उपलब्ध कार्य संपादन प्रतिभूति में से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

33. यदि बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप, जो कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम या उसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह इस हेतु पदाभिहित अधिकारी को नियमानुसार अपील दायर कर सकेगा। इस हेतु नियमानुसार परिस्थितियों में समस्त कार्यवाही इस अधिनियम, नियम व मार्गदर्शन के अनुबंधों के अनुसार की जायेगी।
34. बोली दस्तावेजों में सम्मिलित सभी भागों को या दस्तावेजों को एकीकृत रूपों में समझा जावेगा।
35. उपापन की समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 एवं यथा संशोधनों के अनुरूप की जायेगी, तथा साथ ही जहाँ आवश्यक हो, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम लागू होंगे।
36. उपापन में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।
37. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से संबंधित या लाभकारी स्वामित्व बोलीदाता उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व उद्योग विभाग, राजस्थान के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देश के बोलीदाता की परीभाषा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 13 के अनुसार होगी।
38. बोली प्रतिभूति राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि की कार्यवाही लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 एवं यथा संशोधनों के अनुरूप लौटाई/जब्त की जाएगी।
39. वित्तीय बिड में अनुबंधित बोलीदाता द्वारा अंकित करों में नियमानुसार कमी/वृद्धि होती है तो भुगतान की कार्यवाही नवीन करों अनुसार की जावेगी बशर्तें बोलीदाता द्वारा सही कर की दर अंकित की गई हैं।
40. राजस्थान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बोली दस्तावेज शुल्क विहित लागत के 50 प्रतिशत पर, बोली प्रतिभूति उनके द्वारा प्रदाय की जाने वाली प्रस्तावित परिमाण के मूल की 0.5 प्रतिशत दर पर एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 01 प्रतिशत दर पर होगी। बोलीदाता को उक्त छूट का लाभ हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

## बोली दस्तावेज – Service

## एकल चरण – दो लिफाफा बोली

वर्ग के पंजीकरण प्रमाण पत्र में फर्म राजस्थान में स्थित होने का एवं निविदा में वांछित समस्त सामग्रीओं के संबंधित एनआईसी कोड का अंकन होना अनिवार्य हैं, अन्यथा छूट का लाभ देय नहीं होगा।

41. उक्त खुली प्रतियोगिता बोली का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 54,00,000/- रखा गया है, किन्तु विशेष परिस्थितियों में नियमानुसार मूल्य का 50 प्रतिशत अर्थात् 27,00,000/- तक की सीमा में उपापन किया जा सकता है।
42. श्रम नियमों एवं अधिनियमों व अन्य लागू नियमों के अन्तर्गत आने वाले सभी नियमों की पालना का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का रहेगा। बोलीदाता पर लागू/प्रभावी सभी प्रकार के विधिक व वैधानिक दायित्व निर्वहन को पूर्ण करने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। दायित्व निर्वहन पूर्ण नहीं किये जाने से उपजे विधिक एवं वैधानिक दायित्व का सम्पूर्ण वहन बोलीदाता का होगा। विभाग किसी भी उत्तरदायित्व के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।
43. ठेका अवधि दौरान प्रचलित कानून/नियमों के तहत समस्त सुरक्षा उपकरण/संसाधन/ परिवेश उपलब्ध करवाने की पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। सेवाओं के विवरण में दिये कार्यों को करते समय दुर्घटनावश अथवा अन्य किसी कारण से घायल होने, अथवा स्थाई/अस्थायी रूप से अपंग होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि देने का भार संवेदक/बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
44. संवेदक/बोलीदाता द्वारा सेवाओं के विवरण में दिये कार्यों हेतु लगाये गये कार्मिकों का चाल-चलन सही होना चाहिए एवं सम्बन्धित पूर्व में कोई रिकार्ड कानूनी रूप से खराब हो तो उसे इस कार्य के लिये नहीं लगाया जायेगा।
45. यदि बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज में किसी प्रकार की ओवरराइटिंग और कटिंग की गई हो तो ओवरराइटिंग और कटिंग पर भी हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
46. यदि उपापन संस्था द्वारा विशेष परिस्थितियों में करार की अवधि में विस्तार किया जाता है, तो विस्तारित अवधि के लिए बोलीदाता को नवीन करार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
47. विशेष परिस्थितियों में निर्धारित उच्च कुशल श्रमिकों की संख्या में विभागाध्यक्ष की अनुमति के उपरान्त निश्चित समयावधि में वृद्धि की जा सकती है।
48. निविदा में दो या दो से अधिक बोलीदाताओं द्वारा समान दर प्राप्त होने पर L1 फर्मों से निगोशियेशन किया जाएगा तदुपरान्त भी समान दर पर प्राप्त होने पर गत 03 वर्षों (अप्रैल-2022 से मार्च 2025) में राज्य कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) एवं कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) में जमा राशि के योग के आधार पर सर्वाधिक योग वाली फर्म को सफल घोषित किया जायेगा। सर्वाधिक योग राशि में चालान के आधार पर वेबसाइट से जनरेट चालान ही मान्य है एवं चालान की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। नियमानुसार विभाग द्वारा जमा राशि के चालानों की पुष्टि भी की जा सकती है।
49. बोलीदाता द्वारा सेवाप्रदाता का सर्विस चार्ज (मासिक) या कम्प्यूटर सिस्टम का किराया (मासिक) ऋणात्मक अथवा राशि रुपये 1/- से कम होने पर बोली को अनुत्तरदायी (Unresponsive) मानी जाकर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
50. जोखिम एवं लागत का प्रावधान नियमानुसार (GF&AR) लागू होंगे।
51. सफल बोलीदाता/संवेदक को प्रत्येक बिल के साथ गत माह में उच्च कुशल श्रमिक को भुगतान की गई ईपीएफ की राशि का प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक अकुशल श्रमिक के बैंक खाते (नाम सहित) में भुगतान का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बिल भुगतान नहीं किया जाएगा।
52. सफल बोलीदाता/संवेदक को ईपीएफ का चालान निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के नाम से पृथक से जमा करवाना होगा, जिसमें मण्डल में कार्यरत उच्च श्रमिक का नाम होना

## बोली दस्तावेज – Service

## एकल चरण – दो लिफाफा बोली

अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र की प्रति प्रत्येक माह के बिल के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बिल भुगतान नहीं किया जाएगा।

53. सफल बोलीदाता/संवेदक को प्रत्येक उच्च श्रमिक का बैंक खाता विवरण जिसमें मासिक न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान किया हो उसका प्रमाण पत्र बिल के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बिल भुगतान नहीं किया जायेगा।
54. निविदा/अनुबंध को निरस्त करने की पूर्ण शक्तियाँ निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर को होगी। उनका निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
55. संवेदक द्वारा निविदा में भरी हुई दरें सभी करों को सम्मिलित करते हुए मानी जायेगी। निविदा में भरी हुई दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
56. संवेदक को कार्य के दौरान कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर सिस्टम की आवश्यक सुरक्षा बीमा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। दुर्घटना एवं भूलवंश लगी चोट एवं मृत्यु की स्थिति में ठेकेदार के कार्मिक को देय हर्जे-खर्चे की जिम्मेदारी संवेदक स्वयं की होगी एवं विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
57. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
58. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar करने की कार्यवाही करेगी।
59. बोलीदाता/संवेदक को बोली दस्तावेज में किसी प्रकार का सुझाव/स्पष्टीकरण वांछित हो तो, संबंधित बोलीदाता मण्डल की ई-मेल आई.डी. पर पत्र के माध्यम से सुझाव/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। संवेदक उक्त सुझाव/स्पष्टीकरण बोली जारी होनी की दिनांक से 05 दिवस के भीतर कर सकता है। उक्त समयावधि के बाद प्रस्तुत किए गए किसी प्रकार के सुझाव/स्पष्टीकरण पर उपापन संस्था विचार नहीं करेगी।

## :: घोषणा ::

मैंने/हमने बोली आमंत्रण नोटिस एवं बोली दस्तावेज के उपरोक्त सभी नियम और शर्तें पढ़ ली हैं। मैं/हम उपरोक्त नियमों और शर्तों से सहमत हैं, यदि बोली के साथ प्रस्तुत कोई भी घोषणा, प्रमाण पत्र और दस्तावेज उपापन संस्था द्वारा गलत पाया जाता है तो उपापन संस्था हमारी बोली को अस्वीकार कर सकता है और हमारे/मेरे खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

हस्ताक्षर:-.....

नाम:-.....

पदनाम:-.....

फर्म का स्टेटस (मालिक/साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड आदि) :- .....

स्थायी पता .....

किसकी ओर से (बोलीदाता का नाम):-.....

दिनांक:-.....

टेलीफोन न0:-.....फैक्स न0:-.....ईमेल:-.....

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

बोली दस्तावेज – Service

एकल चरण – दो लिफाफा बोली

बैंक अकाउंट नम्बर :-.....

आई.एफ.एस.सी. कोड :-.....

बैंक का नाम :- .....

## **:: करार पत्र ::**

यह करार पत्र आज दिनांक .....माह.....सन.....को एक पक्ष के .....(जिसे इसमें आगे “अनुमोदित प्रदायकर्ता” कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, इसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे “सरकार” कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशीतियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।

1. चूँकि अनुमोदन प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य के .....को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसकी शाखा कार्यालयों को भी, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी माल की बोली एवं संविदा की शर्तों में दिए गये तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम .....में दी गयी दरों पर प्रदाये करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।
2. चूँकि अनुमोदित प्रदायकर्ता ने रुपये.....की राशि.....निम्न प्रकार से जमा करायी हैं:—
  - i. नकद/बैंक ड्राफ्ट/चालान संख्या/बैंकर्स चेक संख्या .....दिनांक..... द्वारा,
  - ii. विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत रहन रखकर डाकघर बचत पास बुक के रुपये में,
  - iii. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों/डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स/ किसान विकास पत्रों या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अंतर्गत किन्हीं अन्य स्क्रिप्ट/इन्स्ट्रूमेंट के रूप में, यदि इन्हें सम्बंधित नियमों के अधीन (प्रमाण पत्र उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किये जायेंगे) उक्त करार के निष्पादन के लिए कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता हो तथा उसे विभागीय प्राधिकारियों रूप से औपचारिक रूप से हस्तांतरित कर दिया गया हो।
3. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी हैं:—
  - i. इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर .....के मार्फत सरकार द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित प्रदायकर्ता.....ओर उसके.....में तथा बोली एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से उक्त वस्तु का विधिवत प्रदाय करेगा।
  - ii. बोली आमन्त्रण सूचना संख्या.....दिनांक.....से संलग्न खुली प्रतियोगिता बोली/सीमित बोली हेतु बोली एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र से जुड़ी शर्तों को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होंगे।
  - iii. बोलीदाता से प्राप्त पत्र संख्या.....तथा सरकार द्वारा जारी किया पत्र संख्या .....भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किया गये हैं, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।
4. (क) सरकार एतद द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायकर्ता उक्त माल का उपर्युक्त तरीके से विधिवत प्रदाय करेगा, उक्त शर्तों का पालना करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकार.....के माध्यम से अनुमोदित प्रदायकर्ता को उक्त शर्तों में दिए गये समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगी या भुगतान करवाएगी।  
(ख) भुगतान की विधि नीचे वर्णन किये गये अनुसार होगी:—
  - 1.....
  - 2.....
  - 3.....
5. माल की संपूर्ण प्रदाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जायेगी:—

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

| क्रम संख्या | मदों की संख्या | सुपुर्दगी अवधि |
|-------------|----------------|----------------|
|             |                |                |

6. (1) यदि परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गयी हो तो प्रदाय न किये गये सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:-

- (i) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलंब के लिए- 2.5 %
- (ii) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए- 5 %
- (iii) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए- 7.5 %
- (iv) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए- 10 %

#### टिप्पणी-

- (i) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड़ दिया जायेगा।
  - (ii) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 % होगी।
  - (iii) यदि प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित की होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न की प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।
- (2) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो, जो बोलीदाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी के साथ या उसके बिना कर दी जाएगी।
7. उपापन में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।
8. जोखिम एवं लागत का प्रावधान GF&AR अनुसार लागू होगा।

इससे साक्ष्य में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक.....माह.....सन 20.....को अपने हस्ताक्षर किये।

अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ताक्षर पदनाम

दिनांक

दिनांक

साक्षी संख्या 01

साक्षी संख्या 01

साक्षी संख्या 02

साक्षी संख्या 02

**Annexure A : Compliance with the code of Integrity and No conflict of Interest**

Any person participating in a procurement process shall-

- A. Not offer any bribe reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- B. Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- C. Not indulge in any collusion, bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- D. Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidder with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- E. Not indulge in any coercion including impairing or harming or treating to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- F. Obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- G. Disclose conflict of interest, if any; and
- H. Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country barring the last three years or any debarment by any other procuring entity.

**Conflict of Interest:**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulation.

A Bidder may be considered to be Conflict of Interest With one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

- A. Have controlling partners/shareholders in common; or
- B. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- C. Have the same legal representative for purposes of the bid; or
- D. Have a relationship with each other, directly or through common third parties. That puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder or influence the decision of the procuring entity regarding the bidding process's
- E. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved, however, this does not limit the inclusion of the same sub contraction, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- F. The bidder or any of its affiliates participated as consultant in preparation of the design or technical specifications of the good, works or services that are the subject of the bid; or
- G. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in charge/consultant for the contract.

**Participation of bidders :**

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

## बोली दस्तावेज – Service

## एकल चरण – दो लिफाफा बोली

The bidders belonging to or with beneficial ownership from countries sharing land border with India, for participation in any public procurement in the State, shall only be allowed after prior registration with the Industries Department of the Government of Rajasthan. For the purpose of this rule "Bidder from a country which shares a land border with India" means,-

- A. An entity incorporated, established or registered in such a country;
- B. A subsidiary of an entity incorporated, established or registered in such a country;
- C. An entity substantially controlled through entities incorporated, established or registered in such a country;
- D. An entity whose beneficial owner's situated in such a country;
- E. An Indian (or other) agent of such an entity;
- F. A natural person who is a citizen of such a country;
- G. A consortium or joint venture where any member of the consortium or joint venture falls under any of the above."

**Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification**

**Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to.....for procurement of.....in response to their Notice Inviting Bids No.....Dated.....I/We hereby declare Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and or directors and officers have not been convicted of any criminal finance related to my/our professional conduct ro the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract with in a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition;
6. Our firm has not been blacklisted/debarred anywhere in the Rajasthan.
7. Our firm is dealing in the aforesaid procured good i.e. **of Computer Machine with Man, Computer, Printer & UPS on Job Basis** for the last ..... years ( please mention the number of years. minimum one year experience is required as per tender document.
8. I/we have put mu/our signature along with seal of my/our firm on every page of the tender document as a token of acceptance of the terms & conditions of the tender document.
9. We have purchase the Bid document @Rs. 2000 vide receipt/challan no. ....
10. Security deposit is being submitted in the form of e-Grass Challan No..... Dated .....

**Date:**

**Signature of bidder**

**Place:**

**Name:**

**Designation:**

**Address:**

### **Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is Chairman, BOR, Ajmer

The designation and address of the Second Appellate Authority Secretary, Revenue Dept., Jaipur

#### **1) Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in Contravention to the provision of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document with in a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feel aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter or financial Bids be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- 2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- 3) If the officer designated under Para(1) fails to dispose off the appeal filed within the period specified in Para(2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or prospective bidder or the procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf with in fifteen days from the expiry of the period specified in Para(2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate, as the case may be.

#### **4) Appeal not to lie in certain case**

No appeal shall lie against any decision of the procuring Entity to the following matters, namely:-

- a) Determination of need of procurement;
- b) Provision limiting participation of Bidder in the Bid process;
- c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- d) Cancellation of a procurement process;
- e) Applicability of the provisions of confidentiality;

#### **5) Form of Appeal**

- a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

- b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- c) Every appeal may be presented to first appellate authority second appellate , as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

**6) Fee for filing appeal**

- a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- b) The fee shall be paid in the form bank demand draft banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

**7) Procedure for disposal of appeal**

- a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, shall-
  - i. hear all the parties to appeal present before him; and
  - ii. Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State public procurement portal.

**FORM No. 1**  
**See rule 83)**

**Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in public procurement  
Act, 2012**

Appeal No.....of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

**1. Particulars of appellant:**

(1) Name of the appellant:

(2) Official address, if any:

(3) Residential address:

**2. Name and address of the respondent(s)**

(i).....

(ii).....

(iii).....

**3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:**

**4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:**

**5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:**

**6. Grounds of appeal :**

.....  
.....  
.....(Supported by an affidavit)

**7. Prayer :**

.....  
.....  
.....

**Place**.....

**Date**.....

**Appellant's signature**

**Annexure D: Additional Conditions of Contract****1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of error, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

**2. Procuring Entity's Right to vary Quantities**

- i. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- ii. Repeat orders for extra items or additional quantities may be placed, if it is provided in the bidding documents, on the rates and conditions given in the contract if the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of repeat order shall be as under-
  - a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and
  - b) 50% of the value of goods or services of the original contract.]

**3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in the order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

**Annexure E: Declaration by the Bidder regarding Qualification**

In relation to my/our Bid submitted to **"REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER"** for procurement of **of Computer System (Computer Desktop, Printer, UPS) on rent with Computer Operator on Job Basis.** in response to your NIB-BOR/Service/OCB/Rs.54Lakh/Machine with Computer Operator/2025/10 Date:28/07/2025

I/We hereby declare Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and or directors and officers have not been convicted of any criminal finance related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract with in a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition:

**Date:**

**Signature of bidder**

**Place:**

**Name:**

**Designation:**

**Address:**

**Mobile No. :**

**Annexure F: Declaration by the Bidder regarding Blacklisting / Debarred**

In relation to my/our Bid submitted to **"REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER"** for procurement of **of Computer System (Computer Desktop, Printer, UPS) on rent with Computer Operator on Job Basis.** in response to your NIB-BOR/Service/OCB/Rs.54Lakh/Machine with Computer Operator/2025/10 Date:28/07/2025 I/We hereby declare that my/our firm has not been **BLACKLISTED / DEBARRED** by any Government / Private / Public Department in any way in preceding three years.

**Date:**

**Signature of bidder**

**Place:**

**Name:**

**Designation:**

**Address:**

**Mobile No. :**

**Annexure G: Declaration by the Bidder regarding Work Experience**

In relation to my/our Bid submitted to **"REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER"** for procurement of **of Computer System (Computer Desktop, Printer, UPS) on rent with Computer Operator on Job Basis.** in response to your NIB-BOR/Service/OCB/Rs.54Lakh/Machine with Computer Operator/2025/10 Date:28/07/2025

I/We hereby declare that my/our firm has worked for Government Department in respect of Supply of Computer System or similar Machine on rent with Operator on Job Basis. Below are the details of various work that my/our firm has done in last three years and I/We had successfully completed/Delivered the work/Item of the below mentioned works :-

| Sr.No. | Name of the Government Office | Year in which the service is rendered | Amount of the service rendered |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1.     |                               |                                       |                                |
| 2.     |                               |                                       |                                |
| 3.     |                               |                                       |                                |
| 4.     |                               |                                       |                                |
| 5.     |                               |                                       |                                |
| 6.     |                               |                                       |                                |
| 7.     |                               |                                       |                                |

1. The bidder must submit the work orders (Self-Attested Copies of above mentioned) along with satisfactory work certificate issued by concerned Department otherwise the Procuring Entity will not entertain the above information.
2. The Total amount of work done in past three years (Period shall be counted from the Date of Publish of Bid) must be more than Rs 25 Lakh (In Total).
3. Any Work Order not mentioned above but submitted/attached in Bid shall not be counted while valuation of Work Orders having total value more than 25 Lakhs in past three years.
4. The bidder must write the complete information in above prescribed format only. Any information left empty shall not be entertained by Procuring Entity.

**Date:**

**Signature of bidder**

**Place:**

**Name:**

**Designation:**

**MobileNo.:**

यद्यपि मुद्रित की गई समस्त सूचना प्रावधानों के अनुरूप ही की गई है, तथापि, किसी भी असमंजस की स्थिति में, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 ही मान्य होंगे।

**शपथ-पत्र (Annexure-H)**

**(राशि रूपये 100 के गैर न्यायिक स्टाम्प पर)**

**NIB-BOR/Service/OCB/Rs.54Lakh/Machine with Computer Operator/2025/10 Date:28/07/2025**

मैसर्स (कम्पनी/फर्म/एजेन्सी का नाम एवं पता) .....

शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. बिड क्रमांक मय दिनांक .....में मेरे/हमारे द्वारा दी गयी समस्त जानकारी एवं दस्तावेज पूर्णतया सही हैं।
2. मेरे/हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी कम्पनी/फर्म/एजेन्सी, केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा विगत 03 वर्षों में Black List/Debar नहीं की गयी हैं।
3. बोली प्रपत्र में मांगी गई विभिन्न प्रकार के पंजीकरण के प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न कर दी गई हैं एवं समस्त दस्तावेज पूर्णतया सही हैं तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी/हमारी रहेगी।
4. उपरोक्त बिड संख्या .....में चाही गई, संलग्न की गई सूचनाएँ प्रमाण पत्र गलत/कूटरचित पाया जाता है तो विभाग किसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

**Date:**

**Signature of bidder**

**Place:**

**Name:**

**Designation:**

**Address:**

**Mobile No. :**